मास्टर प्लान के अनुसार ही होगा बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास

- बीडा के मास्टर प्लान की नियमावली अधिसूचित
- औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण, रोजगार, आवास शिक्षा आदि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के मास्टर प्लान की नियमावली शासन ने अधिसूचित कर दी है। इसके अनुसार बुंदेलखंड के 253.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियोजित औद्योगिक विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान में 33.10 प्रतिशत क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित रखा गया है। 15.70 प्रतिशत आवासीय व 24.2 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने पिछले सप्ताह मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान की थी।

बीडा ने पिछले माह शासन को ड्राफ्ट मास्टर प्लान भेजा था। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए नियमावली तैयार की गई है। ड्राफ्ट प्लान में बीडा ने औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण, रोजगार, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस किया है। सुनियोजित यातायात संचालन के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-27, 44 और प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ ही मिश्रित उपयोग के लिए 5.14 प्रतिशत क्षेत्र को आरक्षित रखा जाएगा। परिवहन व लाजिस्टिक उपयोग के लिए 11.26 प्रतिशत क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में लाजिस्टिक कारिडोर और मल्टीमाडल लाजिस्टिक पार्क भी निर्मित किया जाएगा। इस पार्क को रेल, सड़क और हवाई संपर्क से जोड़ा जाएगा।

बीडा की योजना है कि मेट्रो-नीयो और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) के जरिये पूरे क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। बीडा ने नागरिकों की सेहत व सुविधा के लिए साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग के निर्माण को भी मास्टर प्लान में शामिल किया है।

औद्योगिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इनमें फार्मा और फूड प्रोसेसिंग, हरित ऊर्जा उपकरण उत्पादन, टेक्नोलाजी आधारित एवं स्वच्छ उद्योग, ई-कामर्स और वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक्स उद्योग, आटोमोबाइल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सामग्री की ईकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।